प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक : 07.08.2026

🚨साइबर ठगी के नेटवर्क पर भदोही पु लस का करारा प्रहार, साइबर फ्रॉड के माध्यम से धन उगाही करने वाले 05 अ भयुक्त गरफ्तार,अ भयुक्तों द्वारा व भन्न राज्यों से प्राप्त कुल 18 NCRP शकायतों में कुल 50 लाख से अ धक धनरा श का कया गया है फ्रॉड 🚨

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

श्री अ भनव त्यागी , पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल*,अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्रा धकारी साईबर क्राइम के नेतृत्व में थाना भदोही एवं साइबर क्राइम थाना पु लस के संयुक्त कार्यवाही *CYBER VAJRA* अ भयान के अंतर्गत मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में NCRP/JMIS पोर्टल पर चन्हित म्यूल बैंक खातों के संबंध में साइबर धोखाधड़ी की शकायतों का परीक्षण एवं वस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान बैंक खातों के ट्रांजेक्शन, केवाईसी अ भलेख, मोबाइल नंबर एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का वश्लेषण कया गया जिसमें जांच के दौरान मो. इरफान, अमन, गुफरान, समीर अंसारी एवं सैदान अंसारी के नाम से संचा लत 05 म्यूल बैंक खाते चन्हित पाए गए, जिन पर व भन्न राज्यों से कुल 18 एनसीआरपी (NCRP) साइबर धोखाधड़ी शकायतें दर्ज थीं (जिसमें 02 अ भयोग कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश अ भयुक्त इरफान एवं गुफरान के वरुद्ध दर्ज है)। जिसमें कुल करीब 50 लाख धनरा श का व भन्न साइबर अपराधों के माध्यम से धन उगाही की गई थी। जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ क व भन्न राज्यों से साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनरा श इन अ भयुक्तों द्वारा सर्वप्रथम इन खातों में प्राप्त होती है तथा बाद में AEPS, ATM, UPI एवं अन्य माध्यमों से निकासी/स्थानांतरण कया जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबं धत खाताधारकों की भू मका सं लप्तता पाए जाने पर उनके वरुद्ध थाना भदोही पर मु0अ0सं0-378/2026 धारा 318(4)/317(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट का अ भयोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए साइबर धोखाधड़ी से संबं धत 05 अ भयुक्तों को गरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शेष अन्य 03 वांछित अ भयुक्तों की तलाश जारी है।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

थाना भदोही पु लस टीम द्वारा

मु0अ0सं0-378/2026 धारा 318(4)/317(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट मुकदमा में नामजद अ भयुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई क मुकदमा उपरोक्त से संबं धत अ भयुक्तगण भदोही रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित सर्कुलेटिंग एरिया मोटरसाइ कल स्टैण्ड के पास कहीं जाने की फराक में खड़े हैं। सूचना पर पु लस टीम तत्काल मौके पर पहुंच कर मुखबिर द्वारा बताए गए व्यक्तियों को घेराबंदी कर गरफ्तार कया गया । पूछताछ में उन्होंने अपना नाम-पता क्रमशः मो0 इरफान, अमन, गुफरान, समीर अंसारी एवं सैदान अंसारी बताया। पहचान सुनिश्चित होने पर अ भयुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में कारण गरफ्तारी बताते हुए गरफ्तार कया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर चालान मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-*

1.मो0 इरफान पुत्र मो0 इसरार नि0 पचभैया थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 22 वर्ष

2.अमन पुत्र वाहिद नि0 गौरियाना थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष

3.गुफरान पुत्र नसीम नि0 कटरा बाजार थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष

4.समीर अंसारी पुत्र मोइउद्दीन नि0 जमुन्द थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 32 वर्ष

5.सैदान अंसारी पुत्र नसीम नि0 नूरेइस्लामपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष

शेष उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित 03 वांछित अ भयुक्तों की तलाश जारी है।

पूछताछ का ववरण:-

पूछताछ एवं ववेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया क अ भयुक्तगण द्वारा बताया गया क वे व्हाट्सएप/टेलीग्राम पर व भन्न ग्रुप बनाकर फर्जी निवेश (Investment), टास्क आधारित कमाई एवं शेयर मार्केट से संबं धत फर्जी वेबसाइट/पोर्टल संचा लत करते थे। लोगों को कम समय में अ धक लाभ का झांसा देकर एपीके (APK) फाइल भेजना, मोबाइल हैक करना, वदेशी नंबरों के माध्यम से फर्जी क्यूआर/ लंक उपलब्ध कराना तथा अन्य साइबर माध्यमों से धोखाधड़ी कर धनरा श प्राप्त करते थे। साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनरा श को म्यूल बैंक खातों में मंगाकर एटीएम, यूपीआई एवं अन्य बैं कंग माध्यमों से निकालकर अपने-अपने उपयोग में लाते एवं व भन्न खातों में स्थानांतरित कर देते थे। मामले में अन्य सं लप्त व्यक्तियों एवं वत्तीय लेन-देन के संबंध में वस्तृत ववेचना की जा रही है।

पंजीकृत अ भयोग

मु0अ0सं0-378/2026 धारा 318(4)/317(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:* -

टीम 01- नि0 बुद् धसागर यादव,उ0नि0 दिवाकर राय,उ0नि0 मोती संह यादव,उ0नि0 महेन्द्र संह यादव,उ0नि0 दीपक कुमार एवं का0 अजय कान्त थाना भदोही

टीम 02- नि0 वजय प्रसाद गुप्ता (प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना) हे0का0 देवानन्द एवं का0 कन्हैया कुमार (साइबर एक्सपर्ट)

साइबर क्राइम थाना भदोही